तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30.3.2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थी का सही नाम किशनलाल पुत्र रामनारायण है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से घर में बोलता नाम राधाकिशन पुत्र रामनारायण गलत रुप से दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं ग्राम पंचायत डेहरा जोहडी का प्रमाण पत्र जिनमें सही नाम है की प्रतियां पेश किये।	

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राधाकिशन पुत्र रामनारायण अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी का सही नाम किशनलाल पुत्र रामनारायण है की पुष्टि मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं ग्राम पंचायत डेहरा जोहडी का प्रमाण पत्र जिनमें सही नाम है से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम वंधावाला भोपालपुरा पटवार हल्का डेहरा जोहडी स्थित भूमि खसरा संख्या 179, 180, 183 से 185, 190 से 193 कुल किता 9 कुल रकबा 5.43 है0, भूमि खसरा नम्बर 208, 798 कुल किता 2 कुल रकबा 2.51 है0, भूमि खसरा नम्बर 157 से 159, 161 से 178, 178/986, 186 से 189 कुल किता 26 कुल रकबा 9.75 है0, भूमि खसरा नम्बर 3243 से 3262 कुल किता 20 कुल रकबा 9.75 है., भूमि खसरा नम्बर 3236 से 3242 कुल किता 7 कुल रकबा [illegible] है0 को वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में **राधाकिशन पुत्र रा**[illegible] के स्थान पर **किशनलाल पुत्र** [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद [illegible] शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.31 17:09:11 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)